

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर OBC आरक्षण पर नोटिस जारी किया

चर्चा में क्यों?

राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक याचिका के उत्तर में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। एक ट्रांसजेंडर महिला ने सार्वजनिक शिक्षा और रोजगार में आरक्षण के लिये [ट्रांसजेंडर लोगों को अनय पछिड़ा वर्ग \(OBC\)](#) के रूप में वर्गीकृत करने के सरकार के नरिणय को चुनौती दी है।

मुख्य बटु

- **याचिकाकरत्ता:** राजस्थान पुलसि में कांस्टेबल के रूप में शामिल होने वाली [पहली ट्रांसवुमन](#) गंगा कुमारी ने याचिका दायर की।
- **मुददे का परचिय:** राजस्थान सरकार के जनवरी 2023 के परपितर में ट्रांसजेंडर लोगों को [आरक्षण के लिये OBC](#) के तहत वर्गीकृत किया गया है, जिसके बारे में याचिकाकरत्ता का तरक है कि इससे OBC और ट्रांसजेंडर दोनों से संबधति लाभों से बहषिकार हो सकता है।
- **कानूनी आधार:** याचिकाकरत्ता का कहना है कि यह वर्गीकरण सर्वोच्च न्यायालय के [राष्ट्रीय वधिकि सेवा प्राधकिरण बनाम भारत संघ \(2014\)](#) के नरिणय का उल्लघन करता है, जिसमें ट्रांसजेंडर लोगों को आरक्षण के लिये पात्र एक अलग समूह के रूप में माना जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कावे OBC श्रेणी में ही हों।
- **नालसा नरिणय:** वर्ष 2014 के [सर्वोच्च न्यायालय](#) के नरिणय ने सरकारों को ट्रांसजेंडर लोगों को "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पछिड़ा" मानते हुए आरक्षण देने का नरिदेश दिया।
 - हालाँकि, इस बात पर असुपष्टता है कि क्या इसका तात्पर्य OBC जैसी मौजूदा सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों में समावेशन या ट्रांसजेंडर लोगों के लिये क्षैतजि आरक्षण से है।
- **न्यायालय की व्याख्या:** मध्य प्रदेश जैसे अनय राज्यों ने NALSA नरिणय की व्याख्या ट्रांसजेंडरों को OBC श्रेणी में रखने के रूप में की है, जबकि कर्नाटक, मद्रास और कलकत्ता जैसे राज्यों ने क्षैतजि आरक्षण को बरकरार रखा है।

ट्रांसजेंडर

- ट्रांसजेंडर व्यक्ती से तात्पर्य ऐसे व्यक्ती से है जिसका लजि जन्म के समय नरिधारति लजि से मेल नहीं खाता है।
- इसमें 'इंटरसेक्स भनिनता वाले व्यक्ती' और 'ट्रांसजेंडर व्यक्ती' जैसे शब्दों को सुपष्ट किया गया है, ताकि सर्जरी या थेरेपी की परवाह कयि बनिा ट्रांस पुरुषों और महिलाओं को इसमें शामिल कयि जा सके।

ट्रांसजेंडर व्यक्ती (अधिकारों का संरक्षण) अधनियिम, 2019

- **भेदभाव न करना:** शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक सुवधियों में भेदभाव को परतबिधति करता है, तथा आवागमन, संपत्ति और कार्यालय के अधिकारों की पुष्टि करता है।
- **पहचान प्रमाण पत्र:** यह कानून स्वयं-अनुभूत लजि पहचान का अधिकार प्रदान करता है तथा जलिा मजसि्ट्रेटों को बनिा मेडिकल परीक्षण के प्रमाण-पत्र जारी करने की आवश्यकता बताता है।
- **चकितिसा देखभाल:** [HIV नगिरानी](#), चकितिसा देखभाल तक पहुँच, लजि पुनरनरिधारण सर्जरी और बीमा कवरेज के साथ चकितिसा सुनशिचति करता है।
- **राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ती परिषद:** सरकार को सलाह देने और शकियतों का समाधान करने के लिये स्थापति।
- **अपराध और दंड:** बलपूर्वक शर्म, दुर्व्यवहार और अधिकारों से वंचति करने जैसे अपराधों के लिये कारावास (6 महीने से 2 वर्ष) और जुर्माने का प्रावधान है।

